पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1086

में

2023 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 999

थाना कांड संख्या-275 वर्ष-2013 थाना- चौतरवा जिला- पश्चिमी चंपारण से उत्पन्न

==========

राकेश कुमार श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय ब्रह्मभा प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ ब्रह्म प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम सिक्तौर, थाना- चौतरवा, जिला-पश्चिमी चंपारण

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. शेषनाथ चौधरी पिता श्री छठू चौधरी निवासी- ग्राम-सिक्तौर, थाना चौतरवा- चौतरवा, जिला- पश्चिमी चंपारण
3. बैजनाथ चौधरी पिता श्री छठू चौधरी निवासी- ग्राम- सिकटौर, थाना- चौतरवा, जिला - पश्चिमी चंपारण

... ...प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता की ओर से	:	श्री विजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, एपीपी
प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए	:	श्री राजेश रंजन, अधिवक्ता
		श्री शक्ति सुमर कुमार, अधिवक्ता
		सुश्री कनिका, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 302 धारा 34 के साथ पठित*
- *सीआरपीसी की धारा 372, 377*

संदर्भित मामले:

- *परविंदर कंसल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2020) 19 एससीसी 496*
- *हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 40*
- *चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एससीसी 415*
- *मुरुगेसन बनाम राज्य, (2012) 10 एससीसी 383*
- *एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एससीसी 581*
- *बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौड़ा बनाम. कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561*

अपील - पीड़िता द्वारा दायर की गई, जिसमें केवल एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत दोषी पाया गया और अन्य सभी आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

निर्णय - पीड़िता को सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। (पैरा 16)

सूचना देने वाले पक्ष और आरोपियों के पक्ष में गृहस्थ भूमि को लेकर विवाद था। - दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जिसमें पीड़िता को दोषी अभियुक्त द्वारा लाठी से सिर में चोट पहुंचाई गई और इस चोट के बाद, वह उपचार के दौरान दो महीने बाद मरा। - यह भी साबित नहीं हुआ कि अन्य घायल व्यक्तियों को कथित घटना में चोटें आईं, क्योंकि गवाहों का बयान चिकित्सीय प्रमाणों से मेल नहीं खाता और डॉक्टर के अनुसार, उन घायल व्यक्तियों की चोटें किसी सड़क दुर्घटना में भी हो सकती थीं। (पैरा 23)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 27)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार)

दिनांक: 23-07-2024

वर्तमान अपील, चौतरवा थाना कांड संख्या 275/2013 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 178/2015 (सी.आई.एस. संख्या 2826/2015) में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बाघा, पश्चिमी चम्पारण द्वारा पारित दिनांक 08.09.2017 एवं 12.09.2017 के क्रमशः आक्षेपित निर्णय एवं सजा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत केवल प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात शेषनाथ चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अंतर्गत ही दोषी पाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 सहित अन्य अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। आक्षेपित सजा के आदेश द्वारा, एकमात्र दोषी, जो प्रतिवादी संख्या 2/ शेषनाथ चौधरी है, को विचारण के दौरान बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई तथा विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 को 3 वर्ष 7 माह और 11 दिन तक कारावास सहना पड़ा।

2. सूचक (पीडब्लू-6) की लिखित रिपोर्ट से अभियोजन पक्ष का मामला यह उभर कर आता है कि दिनांक 09.11.2013 को प्रातः 12:30 बजे सूचक *छठ पूजा* के अवसर पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने गांव आया हुआ था। आरोप के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 सहित सभी अभियुक्तगण सूचक की भूमि से तिरपाल (*टैंट*) उखाड़ने लगे। सूचनाकर्ता के पिता ब्रह्मा प्रसाद श्रीवास्तव दौड़े और तिरपाल (*टैंट*) हटाने का विरोध किया। आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और मुक्का-थप्पड़ से मारपीट की। आरोपी प्रतिवादी संख्या 2/शेषनाथ चौधरी ने उनके सिर पर *लाठी* से वार किया। पिता के चिल्लाने पर सूचक अपने छोटे भाई राजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ घटनास्थल की ओर दौड़े तो देखा कि उनके पिता जमीन पर पड़े हुए थे। आरोपियों ने सूचक पर भी *फरसा* से हमला किया, जिससे उनके दाहिने हाथ का अंगूठा चोटिल हो

गया। यह भी आरोप है कि अभियुक्त प्रतिवादी संख्या 2/शेषनाथ चौधरी ने सूचक के भाई के कब्जे से सोने की चेन और 2,000/- रुपये भी छीन लिये।

3. मुखबिर की लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 302 सहपठित धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

4. जांच पूरी होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 और 3 सहित तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। संज्ञान लेने के बाद मामले को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 तथा सह-अभियुक्त छठू चौधरी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप तय किए गए थे, जिन्हें अपील में प्रतिवादी के रूप में भी शामिल किया गया था, लेकिन इस अपील के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम प्रतिवादियों की सूची से हटा दिया गया है।

5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित 10 गवाहों की जांच की गई:-

(i) **पी.डब्लू.-1**-जगन गोंड

(ii) **पी.डब्लू.-2**-स. मंजूर

(iii) **पी.डब्लू.-3**-रूबी देवी

(iv) **पी.डब्लू.-4**-नीतू देवी

(v) **पी.डब्लू.-5**-राजेश कुमार श्रीवास्तव

(vi)**पी.डब्लू.-6**-राकेश कुमार श्रीवास्तव (सूचनाकर्ता)

(vii)**पी.डब्लू.-7**-डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

(viii) **पी.डब्लू.-8**-डॉ. पंकज कुमार

(ix) **पी.डब्लू.-9**-नागेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त एस.आई.)

(x) **पी.डब्लू.-10**-प्रकाश कुमार श्रीवास्तव

6. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी रिकार्ड पर लाए हैं:-

(i) **प्रविष्ट 1**- लिखित रिपोर्ट पर प्रकाश कुमार श्रीवास्तव के हस्ताक्षर।

(ii) **प्रविष्ट 2**- राजेश कुमार श्रीवास्तव की चोट रिपोर्ट

(iii) **प्रविष्ट 3**-राकेश कुमार श्रीवास्तव की चोट रिपोर्ट

(iv) **प्रविष्ट 4**-ब्रह्मा प्रसाद श्रीवास्तव की चोट रिपोर्ट

(v) **प्रविष्ट 4/1**-पूरक चोट रिपोर्ट

(vi) **प्रविष्ट 5**-ब्रह्मा प्रसाद श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

(vii) **प्रविष्ट 6**-औपचारिक एफआईआर

(viii) **प्रविष्ट 7**-लिखित रिपोर्ट पर समर्थन

(ix) **प्रविष्ट 8**-जांच रिपोर्ट की कार्बन कॉपी

(x) **प्रविष्ट 8/1**-जांच रिपोर्ट पर पी.डब्लू.-10 के हस्ताक्षर।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, अभियुक्तों से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई, जिसके दौरान उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में सामने आई परिस्थितियों से रूबरू कराया गया, ताकि उन्हें उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। पूछताछ के दौरान, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुने थे, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट नहीं किया, हालांकि उन्होंने हर आरोप से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया।

8. हालाँकि, बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह की जाँच नहीं की गई, लेकिन आरोपी व्यक्तियों (प्रतिवादी संख्या 2 और 3) की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाए गए: -

प्रविष्ट ए – चौतरवा थाना कांड संख्या 274/13 की एफआईआर की प्रमाणित प्रति

प्रविष्ट बी – अंचल कार्यालय बगहा-1 द्वारा तैयार नक्शे सहित ऑर्डर शीट की प्रमाणित प्रति

प्रविष्ट सी – धारा 107 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की सूचना

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा पक्षों की दलीलों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय पारित किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि सूचक तथा अभियुक्त पक्ष के बीच वासभूमि के संबंध में विवाद था। लेकिन जमीन पर तिरपाल *(टैट)* हटाने को लेकर जो

विवाद हुआ, उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। विवाद क्षण भर में हुआ और आरोपी/शेषनाथ चौधरी (प्रतिवादी संख्या 2) ने पीड़ित के सिर पर *लाठी* से हमला किया, जिससे उसके बाएं पार्श्व भाग पर 4 सेमी x ½ सेमी आकार का घाव हो गया, जिसमें कोई हड्डी का घाव नहीं था, इसके अलावा बाएं कंधे पर सूजन और कोमलता और दाहिने कान पर ½ सेमी x ½ सेमी x 2 सेमी आकार का घाव हो गया। अन्य घायलों में राजेश कुमार श्रीवास्तव के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में घाव तथा बाएं घुटने में खरोंच है। राकेश कुमार श्रीवास्तव के बाएं हाथ के अंगूठे में किसी कठोर व कुंद पदार्थ से घाव है। *फरसा* से हमला करने का आरोप चिकित्सकीय साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हुआ। घटना के दो माह बाद घायल ब्रह्मा प्रसाद चौधरी की मृत्यु हो गई तथा दो माह की अवधि में उनका इलाज गोरखपुर में चला। इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी पाया और उसे 3 साल 7 महीने और 11 दिन के कारावास की सजा सुनाई, जो उसने ट्रायल के दौरान पहले ही काट ली थी।

10. हमने अपीलकर्ता (सूचनाकर्ता) के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान एपीपी और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील को सुना।

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा है और उसने प्रतिवादी संख्या 3 को सभी आरोपों से गलत तरीके से बरी कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया जाना चाहिए था, न कि धारा 304 भाग II के तहत। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 2/शेषनाथ चौधरी के खिलाफ दी गई सजा भी आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत पर्याप्त नहीं है। उसके खिलाफ दी गई सजा को बढ़ाने की आवश्यकता है।

12. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और कहा कि आरोपित निर्णय और सजा के आदेश में कोई अवैधता या दोष नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की उचित समझ पर आधारित है और इस न्यायालय द्वारा आरोपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार दो दृष्टिकोण संभव हैं

और विचारण न्यायालय एक दृष्टिकोण अपनाता है, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को किसी अन्य दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कानून और तथ्य के निष्कर्ष में विकृति न हो और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्णय में ऐसी कोई विकृति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस मुखबिर ने यह अपील दायर की है, उसे दोषी के खिलाफ दी गई सजा की पर्याप्तता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 372 के प्रावधान के तहत पीड़ित/मुखबिर को सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

13. हमने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन किया और पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया।

14. हम राज्य के विद्वान एपीपी और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत हैं कि सूचक/पीड़ित को सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर करने का अधिकार केवल सीआरपीसी की धारा 377 के तहत राज्य को दिया गया है। पीड़ित को अपील करने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> **"372. जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, अपील नहीं की जा सकेगी-** किसी दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी, सिवाय इसके कि इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया होः
>
> बशर्ते कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया हो या किसी छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया हो, और ऐसी अपील उस न्यायालय में की जा सकेगी, जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती है।

15. धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पीड़ित को केवल निम्नलिखित तीन स्थितियों में ही अपील करने का अधिकार है:

(i) यदि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया हो, या

(ii) अभियुक्त को कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या

(iii) दोषी पर अपर्याप्त मुआवजा लगाया गया हो।

16. पीड़ित को सजा की अपर्याप्तता के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। धारा 377 Cr.PC के तहत सजा बढ़ाने के लिए अपील का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य को ऐसी अपील दायर करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा, अपील करने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। जब तक पक्ष को अपील करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक पक्ष द्वारा की गई अपील को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। यहां **परविंदर कंसल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2020) 19 एससीसी 496** का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसमें **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने निम्नानुसार माना है:-

> "8. .....प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक पीड़ित के अपील के अधिकार का सवाल है, वह तीन संभावित परिस्थितियों तक सीमित है, अर्थात् अभियुक्त को बरी करना; कमतर अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराना; या अपर्याप्त मुआवजा देना। अपर्याप्त मुआवजा दिए जाने की स्थिति में पीड़ित को अपील करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन साथ ही सजा के आदेश को अपर्याप्त बताकर पीड़ित द्वारा अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि धारा 377 सीआरपीसी राज्य सरकार को सजा बढ़ाने के लिए अपील करने का अधिकार देती है। जबकि राज्य सरकार के लिए धारा 377 सीआरपीसी के तहत अपर्याप्त सजा के लिए अपील करना खुला है, लेकिन इसी तरह धारा 372 सीआरपीसी के तहत अपर्याप्त सजा के आधार पर पीड़ित द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती है। यह काफी हद तक स्थापित है कि अपील का उपाय कानून द्वारा ही बनाया गया है। जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून के तहत ऐसा प्रावधान न हो, तब तक पीड़ित के कहने पर सजा बढ़ाने की मांग करने वाली कोई अपील स्वीकार्य नहीं है।

17. यह भी ध्यान देने योग्य है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सिद्धांत, दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के मामले में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों से काफी भिन्न हैं।

18. हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 40 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक अदालत को न केवल कानून और

तथ्य के प्रश्नों की उनके सभी पहलुओं में जांच करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों की भी बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, जिनके कारण निचली अदालतों ने आरोपी को बरी कर दिया और केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, जब ऐसी जांच के बाद वह संतुष्ट हो जाए कि निचली अदालत द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हुआ है, अनुचित है।

19. चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एससीसी 415 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्राधिकारियों का हवाला देते हुए माना है कि अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी किए जाने की स्थिति में, उसकी निर्दोषता की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा पुष्ट, पुष्ट और मजबूत किया जाता है और यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

20. मुरुगेसन बनाम राज्य, (2012) 10 एससीसी 383 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जब तक ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण असंभव नहीं है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और सामग्रियों से संबंधित कारणों का खुलासा नहीं किया जाता है, तब तक धारा 378 सीआरपीसी के तहत शक्ति के प्रयोग में किसी भी आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है।

21. एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2023) 9 एससीसी 581 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

> "**8.1.** अभियुक्त को बरी किये जाने से निर्दोषता की धारणा और मजबूत होती है;
>
> **8.2.** अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने का हकदार है;
>
> **8.3.** अपीलीय न्यायालय को, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते समय, साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया

दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जिसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर लिया जा सकता था;

8.4. यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव था; तथा

8.5. अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध हो चुका था और कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था। ''

(जोर दिया गया)

22. बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रासंगिक उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"39. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि अभियुक्त के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा **निम्नलिखित सिद्धांतों** के चार कोनों के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए:

(क) दोषमुक्ति का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत है;

(ख) यह कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्य पर विचार करने में हुई चूक/गलत व्याख्या पर आधारित है;

(ग) कोई दो उचित दृष्टिकोण संभव नहीं हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप दृष्टिकोण ही संभव है।

40. अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए उपरोक्त कारकों पर प्रासंगिक निष्कर्ष दर्ज करने होंगे, यदि वह ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने के लिए इच्छुक है।

(जोर दिया गया)

23. वर्तमान मामले पर आते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि सूचक पक्ष और अभियुक्त पक्ष के बीच वासभूमि के संबंध में विवाद था और भूमि पर तिरपाल (टैट) हटाने के संबंध में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसमें पीड़ित/ब्रह्मा प्रसाद श्रीवास्तव को प्रतिवादी संख्या 2/शेषनाथ चौधरी द्वारा *लाठी* से सिर पर प्रहार किया गया था और इस चोट के बाद दो माह के उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। यह भी साबित नहीं हुआ है कि अन्य घायल व्यक्तियों को कथित घटना में ऊपर बताई गई चोटें लगी हैं, क्योंकि गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से नहीं होती है और उन पीड़ितों की उक्त चोटें, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, किसी सड़क दुर्घटना में लगी हो सकती हैं।

24. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा ब्रह्मा प्रसाद श्रीवास्तव को लगी चोट और हमले के हथियारों की प्रकृति को देखते हुए, हम पाते हैं कि आरोपी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पीड़ित की हत्या करने की कोई पूर्व योजना या इरादा नहीं था। झगड़ा क्षण भर में हुआ और यहां तक कि लगी चोट से भी यह पता नहीं चलता कि प्रतिवादी संख्या 2 का हत्या करने का कोई इरादा था। अधिक से अधिक यह माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2/शेषनाथ चौधरी को यह जानकारी थी कि उसने पीड़ित को जो शारीरिक चोट पहुंचाई, उससे उसकी मृत्यु हो सकती थी।

25. इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत प्रतिवादी संख्या 2 की सजा को अनुचित या गलत नहीं माना जा सकता। हम यह भी पाते हैं कि उसे अन्य आरोपों से भी सही तरीके से बरी किया गया है। हमें प्रतिवादी संख्या 3 को किसी भी आरोप का दोषी ठहराने के लिए कोई भी सामग्री नहीं मिली।

26. इसलिए, आरोपित निर्णय और आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

27. इसलिए, अपील में कोई दम नहीं होने के कारण, आरोपित निर्णय और आदेश को बरकरार रखते हुए उसे खारिज किया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायाधीश)

मैं सहमत हूँ।

(आशुतोष कुमार, न्यायाधीश)

शोएब/चंदन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।